न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर(राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी—श्री सुबोध सिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या—11/2018 (प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक:—25.05.2018
निर्णय दिनांक:—10.09.2025

अनवान

1—श्रीमति मोगी पुत्री गोकलजी पाटीदार निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर (राज.)

—प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1—

बनाम

1. श्री मानजी पिता कुरिया पाटादार उम्र 50 वर्ष निवासी सरोदा तहसील सागवाडा व ग्राम ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा(राज0)
2. श्रीमती जउती पिता गोकलजी पाटीदार पटेल उम्र 75 वर्ष निवासी सरोदा तहसील सागवाडा पत्नि श्री कुरीया पटेल नि0 ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा(राज0)
3. लेण्डहोल्डर तहसीलदार, तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर।

—विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 2 —

वकील वादी—श्री मयंक दोसी
वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2—श्री नागेन्द्रसिंह
प्रतिवादी संख्या 3 — पेरोकार सरकार

मुकदमा नं0 71/2010 राजस्व
निर्णय दिनांक 17.02.2016
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा0दी0

—: आदेश :—

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त मामले में प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वाद में पारित की गई एकतरफा डिक्री व निर्णय को अपास्त कर वाद में दो तरफा कार्यवाही करने हेतु निम्न निवेदन किया गया है कि:—

उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के वकील के द्वारा दिनांक 29.09.2015 को पेरवी हिदायत नही होना जाहिर करने से उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर दिनांक 17.02.2016 को एकतरफा डिक्री व निर्णय पारित किया गया है।

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त प्रकरण की सुनवाई की तारिख की जानकारी नही थी न ही उसके अधिवक्ता के द्वारा उसे पेशी की सूचना दी गई थी।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को पेशी की कोई सूचना नही दी एंव उसके अधिवक्ता के द्वारा पेरवी हिदायत नही होना जाहिर करने से इस प्रकरण में एक तरफा डिक्री व निर्णय हुआ है।

उक्त वाद प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति से सम्बंधित है जिससे इस वाद में पारित एकतरफा डिक्री व निर्णय को अपास्त कर इसमें दोतरफा कार्यवाही कर प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना जाना आवश्यक है।

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता की भूल की सजा प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को नही दी जा सकती है।

उक्त प्रकरण में पारित की गई एकतरफा डिक्री व निर्णय को यदि अपास्त कर दो तरफा कार्यवाही नही की गई तो प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसी क्षति होगी जिसकी क्षतिपुर्ति नही की जा सकेगी एवं वह अपने हिस्से की सम्पत्ति से वंछित हो जायेगी।

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 महिला है एंव सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है। दिनांक 18.07.2017 को पटवारी हल्का सरोदा से जब उसने अपने खाते की नकल निकलवाई तब उसे पता चला कि उसके खिलाफ न्यायालय की डिक्री हो गई है। इस पर उसने दिनांक 19.07.2017 को आप न्यायालय में नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसे दिनांक 21.07.2017 को प्राप्त हुई है तब उसे प्रकरण में उसके अधिवक्ता के द्वारा पेरवी हिदायत नही होना जाहिर करना व एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित होने की बात पता चली है।

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 18.07.2017 को पटवारी से अपने खाते की नकल लेने से व माननीय न्यायालय से 21.07.2017 को प्रोसीडिंग, निर्णय, डिक्री की नकल प्राप्त होने से उसका वाद में पारित एकतरफा डिक्री व निर्णय को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया।

न्यायहित में उक्त प्रकरण में पारित एकतरफा डिक्री व निर्णय को अपास्त कर वाद में दोतरफा कार्यवाही कर प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 को सुना जाने मय प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दायर कर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को नोटिस सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील नागेन्द्रसिंह ने वकालात नामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 16.03.2021 को प्रतिवादी की ओर से वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश किया एवं मुल पत्रावली वाद के साथ सलंग्न हेतु तलब की गई।

प्रकरण वर्तमान में बहस की स्टेज होकर जैर कार्यवाही होने पर विद्वान अधिवक्ता श्री मंयक दोसी एवं प्रतिवादी वकील श्री नागेन्द्रसिह नें दिनांक 20.08.2024 को वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होना जाहिर कर दिनांक 22.08.2024 को राजीनामा प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

पुनःश्च दिनांक 22.08.2024 को प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1/वादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से दो तरफा हेतु आदेश 9 नियम 13 का पेश कर निवेदन किया गया कि :—

यह कि पक्षकारान के बीच आपस में समझौता हो गया है। इस कारण उक्त वाद में प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 17.02.2016 को जारी एकतरफा डिकी व निर्णय को अपास्त करना आवश्यक है।

पक्षकारान एक ही जाति के होकर आपस में रिश्तेदार है यदि इस मामले में उनके विरूद्व जारी एकतरफा डिकी को अपास्त कर दो तरफा कार्यवाही नही की गई तो पक्षकारान के बीच विवाद बढ़ेगा एवं उनके रिश्ते खराब होगें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण संख्या 71/2010 राजस्व में प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व पारित एकतरफा डिकी व निर्णय को अपास्त कर उक्त वाद में दो तरफा कार्यवाही करने पेश किया गया।

यह कि पक्षकारान आपस में रिश्तेदार है, उनके बीच लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1 व वादीगण ने स्वेच्छा से मुकदमा नं0 71/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.02.2016 व संशोधित डिकी दिनांक 27.02.2018 को अपास्त करने का आपस में राजीनामा किया है। इस हेतु इस पर कोई दबाव नही होने बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें लिखी ईबारत को उन्हें सुनाई व समझाई गई तो उन्होने ईबारत सही होना स्वीकार किया। राजीनामा की पुश्त पर अभयपक्ष के उक्त ईबारत सही होने बाबत दस्तखत कराये गये, जिसे विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक दोसी एंव श्री खुशवन्त गोस्वामी ने पहचान की। चुंकि स्वैच्छया से लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना जाहिर किया है। उक्तानुसार राजीनामा की पुश्त पर हो तस्दीक किया गया। राजीनामा शामिल ए-पार्ट रहे।

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1 व वादीगण के राजीनामा के अनुसार मुकदमा नं0 71/2010 निर्णय दिनांक 17.02.2016 एवं संशोधित निर्णय एंव डिकी दिनांक 27.02.2018 को अपास्त किया जाता हैं एवं मुल वाद संख्या 71/2010 को पुनः नम्बर लेकर उसमे कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। राजीनामा पत्रावली का भाग रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 10/9/25 को फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
जिला डूंगरपुर (राज.)